15/11/12

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री दिनेश विश्नोई R.A.S.

प्रकरण संख्या :–90/2019

वादीगण

कृष्णकुमार पुत्र आदाराम
जाति पुरोहित निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. आदाराम पुत्र भीमा
2. प्रतापाराम पुत्र भीमा
   जाति पुरोहित निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता वादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13/09/19

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 स.प. धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा रतनपुरा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 81/4 रकबा 21–04 बीघा व मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 207 रकबा 20–18 बीधा, खसरा नम्बर 352 रकबा 4–16 बीघा, खसरा नम्बर 408 रकबा 5–10 बीघा वक्त सैटलमेंट से आया हुआ है। भू प्रबन्ध संवत 2012 में वादी के दादा पूर्व पुरूष स्वर्गीय भीमा के नाम पर्चा लगान जारी हो[illegible]री रेकर्ड संधारित हुआ। वादी के दादा भीमा का देहान्त हुआ तब [illegible] आराजी वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 व उनके भाई प्रतिवादी संख्या 2 के नाम विरास[illegible] फौतगी का नामान्तरण खोला गया। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का खाते में नाम दर्ज नही होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:57:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

वादी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है। उक्त वादग्रस्त खेतो में वादी अपने हिस्सानुसार कब्जो काश्त में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादी को काश्त करते समय रोकटोक करता है। तथा वादी के हिस्से की भूमि को बेचान कर वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है। जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।

वादपत्र दिनांक 22.07.2010 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की साक्ष्य में वादीगण संख्या 01 कृष्णकुमार स्वयं द्वारा न्यायालय में उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबन्दी एवं पैतृक होने सम्बन्धी प्रथम जमाबन्दी नकलें प्रस्तुत की गई। हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र का वावजूद नोटिस तामील किसी प्रकार से प्रतिरोध नहीं किया है। तथा उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पैतृक सम्पति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को अपने हिस्से की कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह निर्देशित किया गया है "कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में [illegible] का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में [illegible] सहकृषक होते है चाहे राजस्व रेकर्ड में इस[illegible] इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवन[illegible] में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:57:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।"

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमि पैतृक है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा रतनपुरा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 81/4 रकबा 21–04 बीघा व मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी पटवार हल्का रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 207 रकबा 22–18 बीघा, खसरा नम्बर 352 रकबा 4–16 बीघा, खसरा नम्बर 408 रकबा 5–10 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 आदाराम के साथ सह खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/9/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर, (S.D.O.) गुड़ामालानी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:57:18 IST
Reason: SelfAttested